

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,
(नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रत्यायित)
कार्य परिषद की बैठक (संख्या 10/2023) दिनांक 17-10-2023 की
कार्यवृत्त
उपस्थिति

1- प्रो० आलोक कुमार राय, कुलपति	:—अध्यक्ष
2- अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	:—सदस्या
3- प्रो० राज कुमार	:—सदस्य
4- प्रो० अनूप कुमार भारतीय	:—सदस्य
5- प्रो० बी०डी० सिंह	:—सदस्य
6- प्रो० राम निवास सिंह	:—सदस्य
7- प्रो० अरविन्द मोहन	:—सदस्य
8- प्रो० शीला मिश्रा	:—सदस्या
9- डॉ० राजेश बाबू शर्मा	:—सदस्य
10- डॉ० नन्द किशोर	:—सदस्य
11- डॉ० प्रेरणा माथुर (ऑनलाइन माध्यम)	:—सदस्या
12- डॉ० जॉय सरकार	:—सदस्य
13- प्रो० रजनी कांत श्रीवास्तव (ऑनलाइन माध्यम)	:—सदस्य
14- श्री धर्मेन्द्र सिंह (ऑनलाइन माध्यम)	:—सदस्य
15- जस्टिस रंजना पांडया	:—सदस्या
16- प्रो० कल्पलता पाण्डेय	:—सदस्या
17- डॉ० विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव	:—पदेन सचिव

श्री विद्यानन्द त्रिपाठी, परीक्षा नियन्त्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थित रहें, सचिव/कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

बैठक के आरम्भ में नवागत कार्य परिषद सदस्य प्रो० रजनीकान्त श्रीवास्तव, प्राचार्य, आर०एम०पी०पीजी० कालेज, सीतापुर का स्वागत किया गया तथा निवर्तमान कार्य परिषद सदस्या प्रो० रचना श्रीवास्तव, प्राचार्य ए०पी०सेन गर्ल्स कालेज, लखनऊ को कार्य परिषद सदस्य के रूप में उनके द्वारा दिये गये सहयोग एवं योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

तत्पश्चात कार्य परिषद के नवनियुक्त माननीय सदस्यों से परिचय एवं समस्त मा० सदस्यों के स्वागतोपरान्त अध्यक्ष/कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।





कार्यवृत्त 10/2023

मद संख्या 2023/10/01:- कार्य परिषद की बैठक (संख्या 08/2023) दिनांक 30-08-2023 एवं कार्य परिषद की बैठक (संख्या 09/2023) दिनांक 20-09-2023 की कार्यवृत्ति पर कृत कार्यवाही आख्या मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक संख्या 08/2023 दिनांक 30-08-2023 एवं बैठक संख्या 09/2023 दिनांक 20-09-2023 के कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही पर मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2023/10/02:- महामहिम कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 01.12.2021 के क्रम में को-आपरेटिव लैंडिंग लाइब्रेरी से सेवानिवृत्त श्री एम०डी०बाजपेयी, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की पदोन्नति के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति मा० कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

श्री एम० डी० बाजपेयी द्वारा मा० कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 01.12.2021 तथा "The order of Hon'ble High Court of Judicature (Lucknow Bench) dated 14-09-2016 in writ petition no. 205/2012 (Mr. M.D. Bajpai vs State of UP and others) and order dated 11-09-2023 in writ petition no. 6927 of 2022 passed by the Hon'ble High Court of Judicature (Lucknow Bench) and order no. E-7957/GS dated 01-12-2021 passed by Hon'ble Chancellor, University of Lucknow, the selection committee of Mr. Murli Dhar Bajpai (Retired) was convened on october 16, 2023 at 01:00 P.M. in the manthan Hall to consider the promotion of the Mr. Murli Dhar Bajpai (Retired) Assistant Librarian (Senior Scale) Under Career Advancement Scheme.

In Compliance with the direction issued by the Hon'ble High Court dated 11-09-2023 in writ petition no. 6927 of 2022 "The Registrar, Lucknow University is here-by directed to rectify the anomaly as aforesaid within the period of one week from today and extend the benefits,....", the committee resolves to recommend promotion of Mr. Murli Dhar Bajpai (Retired) as Deputy Librarian under Career Advancement Scheme" के क्रम में दिनांक 16-10-2023 को Career Advancement Scheme के अन्तर्गत की गयी चयन समिति की संस्तुति पर उपरोक्तानुसार मा० कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि इसे भविष्य में उदाहरण न समझा जाये।



मद संख्या 2023/10/03:- डॉ० निशात हैदर, पूर्व प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रवक्ता अंग्रेजी विभाग, आई०टी०पी०जी० कालेज, लखनऊ के पद पर दिनांक 12.02.2000 से दिनांक 28.07.2000 तक प्रशासनिक आदेश/नियुक्ति के आधार पर निश्चित मानदेय पर की गयी सेवाओं को तथा नियमित नियुक्ति दिनांक 29.07.2000 से दिनांक 15.09.2001 तक की गयी सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय में मात्र पेंशन लाभ प्रदान किये जाने के लिये आगणित करने सम्बन्धी प्रकरण मा० कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी, सम्यक विचारोपरान्त मा० कार्य परिषद द्वारा डॉ० निशात हैदर, पूर्व प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रकरण पर विधिक राय लिये जाने के पश्चात, प्रकरण पर निर्णय लिये जाने हेतु अध्यक्ष, मा० कार्य परिषद/मा० कुलपति को अधिकृत करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2023/10/04:- लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकों के स्थायीकरण सम्बन्धी प्रकरण मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम/पदनाम /विभाग	कार्य परिषद की तिथि	नियुक्ति पत्र संख्या/दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण तिथि
1.	डॉ० प्रशान्त कुमार सिंह, सह आचार्य, जैव रसायन शास्त्र विभाग	02-05-2022	APP-16265/29-08-2022	27-09-2022, पूर्वाह्न	27-09-2023
2.	डॉ० भरत कुमार सह आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग	25-06-2022	APP-12450/25-06-2022	16-09-2022 पूर्वाह्न	16-09-2023
3.	डॉ० आदित्य आमा सिंह सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	07-06-2022	APP 11058/07-06-2022	13-06-2022 पूर्वाह्न	13-06-2023
4.	डॉ० अशोक कुमार कैथल आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग	05-09-2022	APP 16973/05-09-2022	05-09-2022 अपराह्न	05-09-2023
5.	डॉ० प्रीती सिंह सह आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग	05-09-2022	APP 17057/05-09-2022	05-09-2022 पूर्वाह्न	05-09-2023
6.	डॉ० दिनेश यादव सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग	05-09-2022	APP 16980/05-09-2022	05-09-2022 पूर्वाह्न	05-09-2023
7.	डॉ० हरनाम सिंह, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग	05-09-2022	APP 16959/05-09-2022	05-09-2022 अपराह्न	05-09-2023

मा० कार्य परिषद द्वारा याचिका सं० 22254/2021, 22393/2021 एवं 22545/2021 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन स्थायीकरण किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2023/10/05:- श्री राजकुमार सक्सेना, अनानुमोदित कर्मचारी, परीक्षा विभाग के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मा० कुलपति महोदय द्वारा गठित जाँच समिति की बैठक दिनांक 20.07.2023 की आख्या परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मा० कुलपति महोदय द्वारा गठित जाँच समिति की बैठक दिनांक 20.07.2023 की आख्या “श्री राजकुमार सक्सेना कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार इतने लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के कारण किसी भी प्रकार के सेवा लाभ पाने के अर्ह नहीं हैं,





अतः समिति श्री राजकुमार सक्सेना की सेवा से विरत करने सम्बन्धी निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 19.10.2012 को ही प्रतिस्थापित रखते हुये उक्त आदेश पर अपना मत स्थिर करती हैं।” परिषद के सम्मुख प्रस्तुत की गयी जिस पर विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा समिति की आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या
2023/10/06:-

प्रो0 सुधीर मेहरोत्रा, जैव रसायन विभाग ल0वि0वि0 द्वारा एम0एस0सी0 बायोकेमिस्ट्री विषय में सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्र के लिये “प्रो0 एस0के0 अग्रवाल गोल्ड मेडल” को स्थापित किये जाने हेतु रु0 5,00000/- (रु0 पाँच लाख) विश्वविद्यालय कोष में जमा करने एवं मेडल अध्यादेश परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा एम0एस0सी0 बायोकेमिस्ट्री विषय में सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्र के लिये “प्रो0 एस0के0 अग्रवाल गोल्ड मेडल” को स्थापित किये जाने हेतु रु0 5,00000/- (रु0 पाँच लाख) विश्वविद्यालय कोष में जमा करने एवं मेडल अध्यादेश पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या
2023/10/07:-

लखनऊ विश्वविद्यालय के अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी संकाय में संविदा पर कार्यरत डॉ0 शैलेन्द्र कुमार भास्कर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं डॉ0 कौमुदी सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को कार्य परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्यमुक्त करने सम्बन्धी पत्र परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी संकाय में संविदा पर कार्यरत डॉ0 शैलेन्द्र कुमार भास्कर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं डॉ0 कौमुदी सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को कार्यमुक्त करते हुये मा0 कार्य परिषद द्वारा 1 महीने के नोटिस पीरियड को माफ (Condone) करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या
2023/10/08:-

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्थायीकरण सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम/पदनाम/विभाग	नियमित नियुक्ति की तिथि	स्थायीकरण तिथि
1.	श्री राम जी श्रीवास्तव, लैब बियरर जन्तु विज्ञान विभाग	12-07-2004	13-07-2006
2.	श्री नत्थू लाल, चौकीदार, जन्तु विज्ञान विभाग	20-04-2017	20-04-2019
3.	श्री नन्द लाल, सफाई कर्मचारी जन्तु विज्ञान विभाग	02-02-1981	02-02-1983

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।





मद संख्या 2023/10/09:- श्री अमित स्वरूप, कम्प्यूटर प्रोग्रामर (अनानुमोदित) प्रबन्ध विज्ञान संस्थान ल०वि०वि० की सेवाएं दिनांक 13.10.2020 से समाप्त करने सम्बन्धी कुलसचिव कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र आर/263/2023 दिनांक 30.05.2023 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद, कुलसचिव कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र आर/263/2023 दिनांक 30.05.2023 से अवगत होते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2023/10/10:- लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों/संस्थानों में बी०बी०ए० (रिटेल) एवं बी०एस०सी० (टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी) पाठ्यक्रमों की अस्थायी सहयुक्तता प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव मा० कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अस्थायी सहयुक्तता

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	कोर्स	अस्थायी सहयुक्तता हेतु प्रस्ताव
1.	गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन	बी०बी०ए०(रिटेल)	सत्र 2023-24 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के संबंध में।
2.	नेता जी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ	बी०बी०ए०(रिटेल)	सत्र 2023-24 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के संबंध में।
3.	हीरालाल यादव बालिका डिग्री कालेज, सरोजनीनगर, लखनऊ	बी०बी०ए०(रिटेल)	सत्र 2023-24 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के संबंध में।
4.	शिया पी०जी० कालेज, लखनऊ	बी०एस०सी० (टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी)	सत्र 2023-24 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के संबंध में।
5.	दीन दयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीतापुर	बी०बी०ए०(रिटेल)	सत्र 2023-24 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के संबंध में।

मा० कार्य परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों/संस्थानों में बी०बी०ए० (रिटेल) एवं बी०एस०सी० (टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी) पाठ्यक्रमों की अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही उपरोक्त पाठ्यक्रमों को कला एवं विज्ञान संकाय में संचालित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

पूरक कार्यसूची (संख्या: 10/2023)

अन्य मद संख्या 2023/10/S01:- विद्या परिषद की बैठक (संख्या 02/2022) दिनांक 14-10-2022 की कार्यवृत्ति संस्तुति हेतु मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विद्या परिषद की बैठक संख्या 02/2022 दिनांक 14-10-2022 के कार्यवृत्त से परिषद अवगत हुई तथा कार्यवृत्त पर मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य मद संख्या 2023/10/S02:- उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुये नये शैक्षिक सत्र 2023-24 से BBA (Retail), BBA (Logistics), BBA (Healthcare) (under skill embedded course of U.P. Govt.) पाठ्यक्रम आई०एम०एस० की गवर्निंग बोर्ड एवं विद्या परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा० कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुये नये शैक्षिक सत्र 2023-24 से BBA (Retail), BBA (Logistics), BBA (Healthcare) (under skill embedded course of U.P. Govt.) पाठ्यक्रम आई0एम0एस0 की गवर्निंग बोर्ड एवं विद्या परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रारम्भ किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य मद संख्या 2023/10/S03:- डॉ0 प्रिया, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संविदा (आई0एम0एस0) द्वारा कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में दिनांक 30.08.2023 की अपरान्ह से असिस्टेन्ट प्रोफेसर संविदा (आई0एम0एस0) के पद से कार्यमुक्त होकर असिस्टेन्ट प्रोफेसर, व्यापार प्रशासन विभाग के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 प्रिया, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संविदा (आई0एम0एस0) द्वारा कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में दिनांक 30.08.2023 की अपरान्ह से असिस्टेन्ट प्रोफेसर संविदा (आई0एम0एस0) के पद से कार्यमुक्त होकर असिस्टेन्ट प्रोफेसर, व्यापार प्रशासन विभाग के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परमा0 कार्य परिषद द्वारा 1 महीने के नोटिस पीरियड को माफ (Condone) करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद के अन्तर्गत लिये गये निर्णय

• बैठक में सेवानिवृत्त डॉ0 गोविन्द स्वरूप गुप्ता, सहायक आचार्य, भाषा विज्ञान विभाग, ल0वि0वि0 के पत्र दिनांक 05.07.2023 का परीक्षण करने हेतु कार्यालय आदेश सं0 एपीपी-23660-65 दिनांक 12.10.2023 द्वारा श्री अरविन्द मिश्रा, आई0ए0एस0 से0नि0, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, प्रो0 आनन्द कुमार विश्वकर्मा, विधि विभाग, (प्रतिनिधि अन्य पिछड़ा वर्ग) ल0वि0वि0 एवं श्रीमती हिमानी चौधरी, वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0 की समिति की बैठक दिनांक 16.10.2023 की निम्नवत आख्या "पेंशन के विषय में राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली जो 2005 से प्रवृत्त हैं, के अनुसार वर्ष 2005 की निर्धारित तिथि दिनांक 01.04.2005 के पूर्व स्थायी पद और नियमित नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी ही पेंशन के लिये अधिकृत हैं, क्योंकि डॉ0 गुप्ता की नियुक्ति दिनांक 01.04.2005 से पूर्व न ही स्थायी पद पर थी, और न ही उनकी नियमित नियुक्ति थी। जिसके कारण वह पेंशन के लिये अर्ह नहीं माने जा सकते। अतः समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि इनको पेंशन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।" से परिषद अवगत हुई, एवं मा0 परिषद द्वारा उक्त समिति की आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

• बैठक में प्रो0 बृजेन्द्र सिंह (से0नि0), कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, ल0वि0वि0 के प्रकरण पर कुलसचिव कार्यालय के पत्र सं0 एपीपी-23660-65 दिनांक 12.10.2023 द्वारा गठित श्री अरविन्द मिश्रा, आई0ए0एस0 से0नि0,


संकायाध्यक्ष, कला संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, प्रो० आनन्द कुमार विश्वकर्मा, विधि विभाग, (प्रतिनिधि अन्य पिछड़ा वर्ग) ल०वि०वि० एवं श्रीमती हिमानी चौधरी, वित्त अधिकारी, ल०वि०वि० की समिति की बैठक दिनांक 16.10.2023 की निम्नवत आख्या “उ०प्र० में दिनांक 01.04.2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना लागू हैं एवं प्रो० बृजेन्द्र सिंह (से०नि०), कम्प्यूटर विज्ञान विभाग की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया वर्ष 2006 से प्रारम्भ हुई, अतः उक्त प्रकरण पुरानी पेंशन नियमावली के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होता है।” से परिषद अवगत हुई, एवं मा० परिषद द्वारा उक्त समिति की आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुये अनुमोदन प्रदान किया।


बैठक के अन्त में अध्यक्ष कार्य परिषद/कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्ववित्तपोषित विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही हैं, जिससे शैक्षणिक कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण किया जा सके, जिस पर मा० सदस्यों ने अध्यक्ष कार्य परिषद/मा० कुलपति को बधाई दी, एवं अध्यक्ष कार्य परिषद/कुलपति महोदय द्वारा सदन को उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1577/79-वि-1-20-1(क)-4-20 दिनांक 31.08.2020 द्वारा उ०प्र० लोक सेवा आयोग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 2020 से अवगत कराते हुये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 6 में उद्घृत प्राविधानों के अन्तर्गत EWS श्रेणी के अन्तर्गत योग्य अभ्यर्थी न पाये जाने की दशा में रिक्त पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जाने के सम्बन्ध में शासनादेश से अवगत कराया, उक्त प्राविधान निम्नवत हैं :-

(6) "Where in any particular recruitment year any vacancy earmarked under sub-section (1) for Economically Weaker Sections cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate belonging to Economically Weaker Sections such 'vacancies shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog and the said vacancy shall be filled by the eligible candidates of unreserved category."

मा० परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति पर कुलसचिव/सचिव द्वारा समस्त मा० कार्य परिषद सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।


डॉ० विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव/पदेन सचिव


प्रो० आलोक कुमार राय
कुलपति/पदेन अध्यक्ष